न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/107/2013

उनवान

1. श्री भूरा पिता जयराम मीणा के बजाय–
   1/1–श्रीमती सोहनी पत्नि स्व0 भूरा मीणा
   1/2–रामराज पुत्र स्व0 भूरा मीणा
   1/3–हरिसिंह पुत्र स्व0 भूरा मीणा
   1/4–ललिता पुत्री स्व0 भूरा मीणा
   1/5–बबली पुत्री स्व0 ाूरा मीणा निवासियान खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री बालू आत्मज काशीराम मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
2. श्री तेजू आत्मज काशीराम मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
3. श्री रामेश्वर आत्मज कजोड़ मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
4. लाडदेवी आत्मजा नंदा मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
5. श्री ममता आत्मजा नंदा मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
6. बंती उर्फ बसन्ती पुत्री नंदा पत्नि रामेश्वर मीणा निवासी गोदान का बाड़ा
7. इंदिरा पत्नि शैतान मीणा आत्मजा रामप्रसाद पुत्रवधु नंदा मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
8. रूपा पत्नि अर्जुन मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. कमला पत्नि मीठूलाल मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
10. श्री प्रधान आत्मज मीठूलाल मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
11. आसुनी पुत्री मीठूलाल मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
12. अनोप पत्नि भागुता मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 28.08.07 से नाम हटाया)
13. श्री खेलचंद पिता अर्जुन मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
14. तहसीलदार साहब जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के प्रकरण संख्या 42 / 2005 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.01.2005

अधिवक्तागण :–

1. श्री रमेश चेचाणी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 4, 8से 11व13
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 05.09.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण / वादीगण के पिता स्व0 भूरा ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88,89, 90, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खजूरी तहसील जहाजपुर की आराजी नम्बर 75,76,77 रकबा 2.07 बीघा, आ0नं0 97 रकबा 1.13बीघा, आ0नं0 100 रकबा 0.15बीघा, आ0नं0

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

102,103 रकबा 1.10बीघा, आ0नं0 705 रकबा 0.12बीघा, आ0नं0 706 रकबा 1.08बीघा,आ0नं0 707 रकबा 2.01बीघा, आ0नं0 708 रकबा 1.04बीघा, आ0नं0 709 रकबा 1.18बीघा, आ0नं0 710 रकबा 0.01बीघा, आ0नं0 711 रकबा 1.12बीघा, आ0नं0 728 रकबा 3.00बीघा,कुल कीता 13 कुल रकबा 18.08 बीघा भूमि वादी भूरा पिता जयराम, काशीराम पिता गोकल, रामेश्वर पिता कजोड़ नाबा0 बविलायत माता छाउ बेवा कजोड़, जयराम पिता बालू के नाम खातेदारी से अंकित है। जयराम की मृत्यु होने से विरासत भूरा के नाम दर्ज हुई जो नकल जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 60 में दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में जयराम पिता कालू के बजाय जयराम पिता बालू दर्ज कर दिया। वाद वर्णित आराजीयात सम्वत 2008 में धूकल–नारायण–काशीराम पिता गोकल, जयराम पिता कालू के नाम पर आ0नं0 111, 705, 706, 707, 708, 709, 711, 712, 728 दर्ज थी जो ग्राम खजूरी माफी में थी।

2. धूकल, नारायण, काशीराम व जयराम का सजरा निम्न है–

गोकुल

धूकल(मृत)	नारायण(मृत)	काशी	कालू(मृत)
|	|		|
भोली(मृत)	रामेश्वर		जयराम
|			
जयराम			

धूकल की मृत्यु पश्चात उसकी पत्नि भोली व लड़की केसरी रहे। भोली व केसरी की मृत्यु हो गई। भोली ने अपने जीवनकाल में दिनांक 05.06.95 को भूरा पिता जयराम के पक्ष में अपनी चल व अचल सम्पत्ति की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वसीयत कर दी व नारायण की मृत्यु हो गई। नारायण के कोई सन्तान नहीं थी। उसने अपने जीवनकाल में रामेश्वर के पक्ष में दिनांक 27.07.88 को वसीयत कर दी। जयराम की मृत्यु हो गई उसका लड़का भूरा है व भूरा धूकल की सम्पत्ति का जरिये वसीयत व जयराम की सम्पत्ति का जरिये विरासत मालिक है व 1/2 भूमि का हकदार है व 1/2 हिस्से के नारायण व काशीराम मालिक है।

यह कि चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि सहखातेदारी से दर्ज है व लगान जमा कराते समय व फसल बुवाई के समय कम ज्यादा भूमि का विवाद होता है। इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का बटवाड़ा कराना चाहता है व राजस्व रेकार्ड में अलग अंकित कराना चाहता है।

3. वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के लिए प्रतिवादी संख्या 3–4–5 ने वास्ते बटवाड़ा व खातेदारी घोषणा हेतु प्रकरण संख्या 134/2000 सन्1980 में एस0डी0ओ0कोर्ट शाहपुरा में पेश किया जिसमें जयराम पिता धूकल व भूरा पिता छोगा व अन्य को पक्षकार बनाया जबकि जयराम पिता धूकल है नहीं व जयराम पिता कालू है लेकिन वादी द्वारा वाद में संशोधन नहीं किया गया व दिनांक 21.05.1984 को वादी ने आदेश 22 नियम 4का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। भूरा पिता छोगा की दिनांक 15.06. 1983 को मृत्यु हो गई व उसके वारिसान रूपा, सूरजा, रामकरण लड़के व भूली विधवा जमना, राजी लड़की है जो वाद में नहीं जोड़े गए। व वर्तमान में उक्त वादी भूरा पिता जयराम उसमें पक्षकार नहीं था नहीं जयराम पिता कालू पक्षकार था। वादी नंदा द्वारा गलत पक्षकार बना दावा पेश किया गया लेकिन उक्त प्रकरण को अभिभाषक ने जानबूझ कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा प्राथमिक डिक्री पारित करवाली। उक्त वाद में वर्तमान में जो खातेदार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पक्षकार नहीं थे। नन्दा न्यायालय के सामने सही तथ्य छिपाये गलत प्रतिवादीगण के नाम से डिक्री हासिल की जो मौजूदा खातेदारान पर लागू नहीं है। मौजूदा खातेदारान को पक्षकार नहीं होने से उक्त प्रकरण के निर्णय से पाबन्द नहीं किया जा सकता। नन्दा द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 21.03. 2002 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया जिसे पुनः नम्बर पर नहीं लिया गया व समय पर पुनः नम्बर पर लेने की अवधि भी समाप्त हो गई व मौजूदा नन्दा द्वारा प्रस्तुत वाद में दर्ज प्रतिवादीगण के कायम मुकाम बनाने की मियाद भी पूर्ण हो गई व न ही नन्दा द्वारा प्रस्तुत वाद जैरकार्यवाही है।

4. प्रतिवादी संख्या 3 से लगायत 9 तक गलत तरीके पर वादीगण की भूमि छीनना चाहते हैं व लड़ाई झगड़ा करते हैं।वाद वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 3 से लगायत 9 का किसी तरह का हिस्सा नहीं है न कभी हिस्सा रहा। प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 ने वादवर्णित आराजीयात पर जबरन अपनी शक्ति के बल पर कब्जा कर लिया जिससे वादी उन्हें अतिक्रमी घोषित करा कब्जा वापस प्राप्त करना चाहता है। प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी की अगर जमीन पर आया तो जान से खत्म कर देगें।

5. यह कि वादी प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने व बटवाड़ा कराने का मुस्तहक है व वादी की छीनी गई भूमि का कब्जा प्राप्त कराने का हकदार है।

6. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलान्ट / वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार अपीलाण्ट / वादी का वादपत्र आदेश 8 नियम 5(2) सि0प्र0सं0 के अनुसार ही डिक्री किए जाने योग्य होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर मनमाना विवेचन करते हुए अपीलाण्ट / वादी के वादपत्र को खारिज करने में भारी भूल की है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वाद में वर्णित सजरे में कालू के काई जाइन्दा संतान नही होने से जयराम उनके गोद चला गया तथा धूकल की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मु0 भोली ने अपनी सम्पत्ति बाबत रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रदर्श–2 जयराम के पक्ष में निष्पादित कर दिया। इस प्रकार वादी के पिता जयराम के हिस्से में कालू एवं धूकल की भूमि रही। उक्त तथ्य पत्रावली पर स्पष्ट होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने उन पर कोई विचार ही नहीं कर गुणावगुण पर कोई निस्तारण नहीं कर मात्र वादी की पहचान को विवादित करते हुए वादी का वाद खारीज करने में भारी भूल की है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2013 को अपास्त फरमाया जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किये वादपत्र के अनुसार उनके पक्ष में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध डिक्री पारित फरमाई जावे।

10. रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित सुनवाई करते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हुए प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन के पश्चात उचित निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावे।

11. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस के तथ्यों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया शेष प्रतिवादीगण को कोस्ट पर जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने पर भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किए जाने पर दिनांक 29.01.2008 को जवाबदावा बन्द किया गया। अपीलार्थी/वादी ने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से ग्राम खजूरी की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 को प्रदर्श कराया गया। इसी प्रकार मु0 भोली पत्नी धूकल के द्वारा जयराम के पक्ष में सम्पादित वसीयत एवं नारायण पिता गोकुल द्वारा रामेश्वर के पक्ष में सम्पादित वसीयत को प्रदर्श कराया है। अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 60 में वादोक्त आराजीयात कीता 13 कुल रकबा 18.08बीघा भूमि भूरा पिता जयराम, काशी पिता गोकल, रामेश्वर पिता कजोड़ नाबा0बविलायत माता छाउ बेवा कजोड़, जयराम पिता बालू मीना सा0देह खातेदार दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 1307 से जयराम की विरासत से भूरा पिता जयराम अंकित है।

12- अपीलार्थी/वादी ने जयराम की मृत्यु होने पर विरासत स्वयं के नाम कैसे दर्ज की गई इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा नामान्तरकरण संख्या 1307 को अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि वाद में शहादत वादी में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि गोकल के धूकल, नारायण, काशी व कालू वारिस है। धूकल की मृत्यु हो गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

धूकल की मृत्यु उपरान्त उसकी विधवा भोली व लड़की केसरी रहे। भोली व केसरी दोनो फौत हो गई। भोली ने अपने जीवनकाल में मेरे पक्ष में दिनांक 04.06.1985 को वसीयतनामा लिख रजिस्ट्री करवादी जो प्रदर्श–2 है। धूकल की सम्पत्ति में वसीयत से मालिक हूं। व मेरे पिता जयराम की मृत्यु हो जाने से जयराम का मैं अकेला वारिस होने से 1/2 हिस्से का एक मात्र वारिस हूं। मु0 भोली पत्नी धूकल के द्वारा दिनांक 04.06.1985 को भूरा पिता जयराम वादी के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई जिसमें लिखा है कि उसके एक पुत्र है जो अन्य के गोद चला गया परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि भोली का पुत्र कौन था उसका नाम क्या था व किसके गोद गया। अपने पुत्र को गोद किसके द्वारा किसे दिया व कब दिया इसके सम्बन्ध में वादी ने भी अपने वाद में स्पष्ट नहीं किया है कि उसके पुत्र कौन था व जीवित है या फौत हो चुका है । जबकि धूकल के पत्नी भोली व पुत्री केसरी होने का वाद में अंकन किया है। इस प्रकार वादी ने तथ्यों को छुपाकर यह वाद प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी/वादी ने अपने वाद की कलम संख्या 5 में अंकित किया है कि एस0डी0ओ0कोर्ट शाहपुरा में बटवाड़ा एवं खातेदारी घोषणा का वाद संख्या 134/2000 प्रस्तुत किया जिसमें जयराम पिता धूकल व भूरा पिता छोगा व अन्य को पक्षकार बनाया। इसमें अंकित किया जयराम पिता धूकल नहीं है व जयराम पिता कालू है । वादी ने अधिनस्थ न्यायालय में जो शपथपत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया है उसमें उनकी जाति में गोद की रस्म के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है । वादी ने अपने वाद में सजरा अंकित किया है उसमें धूकल के भी जयराम वारिस बताया है और कालू के भी जयराम को वारिस बताया है। इस प्रकार जयराम पिता धूकल व जयराम पिता कालू दो अलग–अलग व्यक्ति है या एक ही व्यक्ति है इस तथ्य को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भी वादी ने अपने वाद में स्पष्ट नहीं किया है। अपीलाण्ट /वादी द्वारा मात्र एक जमाबन्दी सम्वत्2057–60 प्रस्तुत की है।जिसमें भूरा पिता जयराम लिखा जा कर जयराम पिता बालू मीना भी दर्ज रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमाबन्दी संलग्न प्रस्तुत नहीं है। इस जमाबन्दी ग्राम खजूरी(प्रदर्श–1) में भूरा पिता जयराम यदि भोली की वसीयत से दर्ज हुआ हो तो नामान्तरकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे में जयराम पिता बालू मीणा का नाम भी साथ ही दर्ज होने से भूरा के पिता जयराम के पिता का नाम धुकल होना तो प्रमाणित होता है, परन्तु जयराम पुत्र बालू मीणा का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में किस प्रकार किया गया यह स्पष्ट नहीं है। जयराम पुत्र धुकल तथा जयराम पुत्र बालू एक ही व्यक्ति हो यह पर्याप्त साक्ष्य सबूतों से वादी/अपीलाण्ट को साबित करना था। जिसमें वे असफल रहे हैं। अपना वाद साबित करने का भार वादी पर था।

विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनकर पाया है कि जयराम पिता बालू पूर्व में जयराम पिता कालू था लेकिन राजस्व अधिकारियों की भूल से जयराम पिता बालू दर्ज कर दिया यह अभिकथन किए जाने से स्पष्ट नहीं होता है कि जयराम पिता बालू व जयराम पिता कालू एक ही व्यक्ति है। वादी द्वारा वाद में जो सजरा बनाया है उसमें जयराम को कालू का वारिस दखाया है। रजिस्टर्ड वसीयतनामें की अप्रमाणित प्रति अनुसार जयराम को भूरी का वारिस दर्शाया गया है। ऐसे में भूरा कौनसे जयराम का पुत्र माना जाय यह स्पष्ट नहीं है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने यह निष्कर्षित किया कि वादी अपने वाद को पर्याप्त साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील में भी वादपत्र से भिन्न कोई अंकन नहीं है तथा विद्वान

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्षण को गलत साबित करने बाबत साक्ष्य, सबूत, कथन प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली में वसीयतनामा की फोटो प्रति प्रस्तुत हुई है जो किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं है तथा प्रदर्श भी नहीं है, जिसे साक्ष्य के रूप में नहीं पढा जा सकता। परन्तु फिर भी यदि वसीयतनामें को आधार लिया जावे तो भी अपीलाण्ट/वादी का पक्ष साबित नहीं होता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय निर्णय उचित होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

13- अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.01.2005 को यथावत रखा जाता है।

14. निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 107 / 2013

उनवान

1. श्री भूरा पिता जयराम मीणा के बजाय–
   1 / 1–श्रीमती सोहनी पत्नि स्व0 भूरा मीणा
   1 / 2–रामराज पुत्र स्व0 भूरा मीणा
   1 / 3–हरिसिंह पुत्र स्व0 भूरा मीणा
   1 / 4–ललिता पुत्री स्व0 भूरा मीणा
   1 / 5–बबली पुत्री स्व0 भूरा मीणा निवासियान खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री बालू आत्मज काशीराम मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
2. श्री तेजू आत्मज काशीराम मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
3. श्री रामेश्वर आत्मज कजोड़ मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
4. लाडदेवी आत्मजा नंदा मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
5. श्री ममता आत्मजा नंदा मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
6. बंती उर्फ बसन्ती पुत्री नंदा पत्नि रामेश्वर मीणा निवासी गोदान का बाड़ा
7. इंदिरा पत्नि शैतान मीणा आत्मजा रामप्रसाद पुत्रवधु नंदा मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
8. रूपा पत्नि अर्जुन मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. कमला पत्नि मीठूलाल मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
10. श्री प्रधान आत्मज मीठूलाल मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
11. आसुनी पुत्री मीठूलाल मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
12. अनोप पत्नि भागुता मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 28.08.07 से नाम हटाया)
13. श्री खेलचंद पिता अर्जुन मीणा निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
14. तहसीलदार साहब जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के प्रकरण संख्या 42 / 2005 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.01.2005
अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 107 / 2013** मे **उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः अपीलार्थी अधिवक्ता श्री रमेश चेचाणी एवं प्रत्यर्थी सं0 4, 8 से 11 व 13 के अधिवक्ता श्री गोपाल अजमेरा व राजकीय अधिवक्ता की उपस्थिति मे दिनांक 05.09.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2005 को यथावत रखे जाते हैं।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 05.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस